भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 216*

(सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

विदेशी कंपनियों द्वारा व्यावसायिक कार्यालयों को बंद किया जाना

***216. श्रीमती मंजू शर्माः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसी अनेक विदेशी कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों ने देश में अपने व्यावसायिक कार्यालय बंद कर दिए हैं, जिनके पंजीकृत कार्यशील कार्यालय हमारे देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा व्यावसायिक कार्यकलापों/कार्यालयों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास वर्तमान में देश में अपने व्यावसायिक कार्यकलाप करने वाली विदेशी कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कंपनियों में वर्तमान में कुल कितने भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“विदेशी व्यावसायिक कार्यालयों को बंद किया जाना” के संबंध में माननीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2026 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *216(16वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (42) के तहत एक "विदेशी कंपनी" को परिभाषित किया गया है। किसी "विदेशी कंपनी" का अर्थ है भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी या निकाय कारपोरेट जिसका (क) भारत में चाहे वह स्वयं या एजेंट के माध्यम से, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से व्यवसाय का स्थान है; और (ख) भारत में किसी अन्य तरीके से किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप का संचालन करता है।

विदेशी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के तहत शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय और परियोजना कार्यालय के रूप में पंजीकरण कराती हैं। कई विदेशी निकाय कारपोरेट्स की भारतीय सहायक कंपनियां भी हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत भारत में निगमित हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बंद करने का विकल्प चुनने वाले विदेशी कंपनियों के साथ-साथ पंजीकृत विदेशी निकाय कारपोरेट्स की भारतीय सहायक कंपनियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

परिचालन बंद करना वाणिज्यिक व्यावसायिक निर्णय का मामला है। यह जैसे कि संचालन की व्यवहार्यता, क्षेत्रीय रणनीति, वैश्विक प्राथमिकताएं, बाजार का आकार, पूंजी और कंपनी के भीतर संसाधन आवंटन के साथ-साथ किसी विशेष व्यावसायिक इकाई के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन करने या न करने के निर्णय जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

(ग): दिनांक 30.07.2026 तक, भारत में निगमित 3313 विदेशी कंपनियां और 19,881 कंपनियां, जिनकी होल्डिंग कंपनी भारत के बाहर निगमित है, देश में अपनी व्यावसायिक कार्यकलाप कर रही हैं।

(घ): विदेशी कंपनियों और सहायक कंपनियों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की संख्या मंत्रालय के पास नहीं रखी जाती है।

अनुलग्नक

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संदर्भित।

वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के तहत पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के तहत पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या जिन्होंने अपना व्यवसाय स्थल बंद कर दिया है	भारत में निगमित कंपनियों की संख्या जिनकी होल्डिंग कंपनी भारत के बाहर निगमित है	भारत में निगमित कंपनियों की संख्या जिनकी होल्डिंग कंपनी भारत के बाहर निगमित है, जिन्होंने भारत में अपना व्यवसाय बंद कर दिया है
2021-22	74	104	1,829	300
2022-23	51	63	1,832	134
2023 -24	66	68	2,112	242
2024-25	59	63	2,013	253
2025-26	102	84	2,191	294
